

-2-

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सतत जागरूकता संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अनुमान की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय सतत मंड में निर्वहन में रखी गई धनराशि से निचयानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समस्त कार्य हेतु पूर्व में कंराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विवरण कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो भित्तिव्यवस्था की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(xiii)- उपर 24 कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 2.40 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं-22, के अन्तर्गत ऑल्टिमेट आईडी0 सं-51311220270 दिनांक 22-11-2013 द्वारा आपको आवंटित कोड सं- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं-22-लेखाधीनक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला सड़क अन्य सड़कों -आयोजनगत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 535(A)/XXVII(2)/2013 दि: 22 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- प्रयोपत्र।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- 5927 (1)/(2)/13-81(अवआ0)/2013 तबदिनांक।

प्रतिसिंधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेख कार, लेखा प्रथम, आबकारी मोटर्स बिल्डिंग, नाजरा बहेराइन।
2. आयुक्त, महवाल/कुमायूँ, जण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. आयुक्त, कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
4. आयुक्त, कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लेगिनिडि0, उत्तराखण्ड।
10. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोनिडि0, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड बुक।

आमंत्रित,

11/11/13

(महिला)

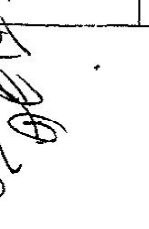
अनु सचिव

-4-

शासनादेश संख्या:- 5927/111(2)/13-31(प्रोआ0)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

10	मा. मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-42/2013 के अन्तर्गत जनपद पोड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत संगलाकोटी शैडगीव गुड्रिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली जंक्शन तक विस्तार/परिष्करण का कार्य।	12.00	191.10 (₹ 72.30 + ₹ 118.80) उत्तराखण्ड अधिग्रहण नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
11	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-430/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल- किमोली मोटर मार्ग का नारायणगढ़ से जोड़ने के लिए 10 कि०मी० मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10.00	96.21 (₹ 58.50 + ₹ 37.71) उत्तराखण्ड अधिग्रहण नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
12	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-116/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत एम०डी०डी०ए० शिवलोक कालोनी को दीपनगर से जोड़ने हेतु रिक्खना नदी पर मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	20.00 mt	1.60	0.10
13	मा. मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-722/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया में तड़ागताल में (बनान के पास 125 मी० विस्तार के) झूला पुल का निर्माण।	125 mt	7.94 (₹ 7.51 + ₹ 0.43) उत्तराखण्ड अधिग्रहण नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
14	मा. मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-319/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी में ग्राम लक्ष्मपुर (नकैले) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/ डासरीकरण एवं चुखी नदी पर 60:00 मी० स्तान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	3.00 + 60mt	29.55 (₹ 4.71 + ₹ 24.84) उत्तराखण्ड अधिग्रहण नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
15	मा. मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़यानी पैदल मार्ग के किमी० C.D.G (देवल मल्ली) से किमी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने हेतु मार्ग का सुधार/परिष्करण/पुनःनिर्माण चुखी नदी पर काजूव का निर्माण।	2.00	19.46 (₹ 2.90 + ₹ 16.56) उत्तराखण्ड अधिग्रहण नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
16	मा. मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-377/2013 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट से रेवती नदी (कपकोट) के स्थान होलकला के समीप 30 मी० पैदल लोड सेतु का निर्माण।	30mt	1.20	0.10
17	जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणगढ़ में कुलसारी-आलकोट-धारवाहम मोटर मार्ग का ग्राम गैरवाहम तक विस्तार हेतु कि०मी० 2.00 में निरिखा लिक मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	48mt	3.36	0.10
18	जनपद पोड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड-डुमड़ुवा में सिद्धबली मंदिर को जाने वाले पुराने मार्ग गाड़ीघाट ग्रास्टनगज के मध्य खो नदी पर 105 मी० स्तान डबल लेन आर०सी०सी० ग्रीस्ट्रैर सेतु का निर्माण कार्य।	105 mt	11.62	0.10
19	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-243/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत करड़ा शिकार मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4.00	38.52 (₹ 3.32 + ₹ 35.20) उत्तराखण्ड अधिग्रहण नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10





परियोजना का नाम :-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317 / 2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण। (वास्तविक लं० 1.70 कि०मी०)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)
(संलग्न है)

प्र

अधियासी अभियन्ता
माननीय खण्ड, लो० नि० डि०
नैनीताल.

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

परियोजना का नाम :-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण। (वास्तविक लम्. 1.70 कि.मी०)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 24.12.2014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सुनील श्रीवा पुत्राश आर्या उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री ललित श्रीवा वन दारोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री अमोन जीषी प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री डी0सी0 धौलाखण्डी, सहायक अभियन्ता तथा श्री योगेश डोबरियाल, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 1.530 हे० वन पंचायत भूमि शून्य हे०, एवं नाप भूमि 0.00 हे० है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

ह०/-
प्रयोजक एजेंसी
आदिशासी अभियन्ता
ग्रामीण विकास, लो० नि० वि०
नैनीताल.

ह०/-
राजस्व विभाग की प्रतिमिष्टि
तहसील MLO.

ह०/-
वन विभाग का प्रतिमिष्टि
उप प्रभागीय वनाधिकारी (न०)
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी,

ह०/-
जिलाधिकारी

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

ह०/-
सम्बन्धित उप जिलाधिकारी

ह०/-
ग्राम प्रमाण/वन पंचायत सचिव
हल्द्वानी (नैनीताल)

हल्द्वानी
Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand

हल्द्वानी
वनाधिकारी